न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः—274/2020 (GCMS No. 2020/00280) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. नारायण पुत्र श्री गिरवर जाति मीणा, निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मुरारी पुत्र गिरवर जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
2. विस्सो पुत्री गिरवर पत्नी मुरारी जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
3. नारायणी पुत्री गिरवर पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
4. (मृतक) बादामी बेवा गिरवर जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
5. ग्राम पंचायत लांगरा पंचायत समिति सपोटरा तामील जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लांगरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2012 उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल अपील संख्या 02/12 उनवानी मुरारी बनाम विस्सो।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री डालचन्द लाटा, वकील
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री राजेश कुमार सोगरवाल, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 19.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के आदेश दिनांक 21.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के पिता गिरवर के निधन होने के बाद मृतक गिरवर के समस्त वारिसान के नाम पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 748

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

खोलकर ग्राम पंचायत लांगरा के समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत लांगरा द्वारा दिनांक 20.09.2004 को मृतक के वारिसान अपील में अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद राजस्व रिकार्ड में मृतक गिरवर के स्थान पर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में हो गया। खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 लगा. 4 हिस्से की आराजी पर संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते रहे हैं। रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8 वर्ष बाद झूठे तथ्यों का सहारा लेते हुये मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 748 ग्राम लांगरा को निरस्त कर तहसीलदार मण्डरायल को रिमाण्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री राजेश कुमार सोगरवाल अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पो. संख्या 2, 3 व 5 अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलांट के पिता गिरवर के निधन होने के बाद मृतक गिरवर के समस्त वारिसान के नाम पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 748 खोलकर ग्राम पंचायत लांगरा के समक्ष प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत लांगरा द्वारा दिनांक 20.09.2004 को मृतक के वारिसान अपील में अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। नामांतरकरण स्वीकृत होने के बाद राजस्व रिकार्ड में मृतक गिरवर के स्थान पर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में हो गया। खातेदार काश्तकार होने के कारण अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 लगा. 4 हिस्से की आराजी पर संयुक्त रूप से काविज होकर काश्त करते रहे हैं। रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8 वर्ष बाद झूठे तथ्यों का सहारा लेते हुये मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की। रेस्पो. सं. 1 द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये हैं वह अविश्विसनीय हैं। जिन पर भरोसा व विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण संख्या 748 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार मण्डरायल को रिमाण्ड कर आदेश दिया है कि उभयपक्ष की सुनवाई किये जाने के पश्चात प्रकरण मैरिट पर निर्णय कर उचित आदेश पारित करें जवकि नामांतरकरण संख्या 748 की जानकारी रेस्पो. सं. 1 को आदेश होने के दिन से ही रही है। अपीलांट के साथ रेस्पो. संख्या. 1 वर्ष 2004 से अपील पेश होने के दिन तक खातेदार काश्तकार रहा है। नामांतरकरण पर्सनल लॉ के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण हिन्दु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उत्तराधिकार अधिनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किया जाकर राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 40 के निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 4(2) का एप्लीकेशन करते हुये नामांकरकरण अधिकृत किये जाने की आज्ञा देने में कानूनी त्रुटि की है। मृतक गिरवर द्वारा कोई वसीयत किसी को भी नहीं की गई। नामांतरकरण पत्नी व बच्चों सभी के नाम स्वीकृत हुआ है। नामांतरकरण संख्या 748 सही खुला है। जमाबंदी में अंकन हो गया है। मीणा जाति से उनकी प्रथा व वाजुबुल अर्ज के आधार पर मृतक के समस्त वारिसान के नाम आराजी स्वीकृत होती रही है और उसी प्रथा के अन्तर्गत नामांतरकरण संख्या 748 अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 4 के नाम स्वीकृत हुआ था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल दिनांक 21.06. 2012 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.2004 ग्राम लांगरा बहाल रखा जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 748 रेस्पो. संख्या 5 द्वारा अपीलांट व रेस्पो. के हक में निर्णित किया जबकि मीणा जाति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के तहत लागू नहीं होता है बल्कि पुराना हिन्दू लॉ लागू होता है। मीणा जाति में पुराने हिन्दू लॉ के तहत मृतक व्यक्ति खातेदार के पुत्र होने पर पुत्रियों को कोई अधिकार व हक विरासत के प्राप्त नहीं होते हैं। अपील सही तथ्यों के आधार पर पेश नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपील को स्वीकार कर रिमाण्ड किया गया है जिसके विरूद्व अपील चलने योग्य नहीं है। उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 748 के कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है कि गिरवर फोत हो गया उसके वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज कर पेश हैं। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अंकन सही माना है। सरपंच द्वारा नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुये अपील पर विवेचन किया है। विरासत का नामांतरकरण नारान, मुरारी पि. गिरवर, बादामी बेवा गिरवर, नारानी, विस्सो पुत्रियान गिरवर दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि " नामांतरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.04 ग्राम लांगरा मृतक गिरवर पुत्र कुअरचन्द जाति मीणा निवासी कसियापुरा की विरासत का दर्ज किया गया। मृतक गिरवर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जाति से मीणा जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में हैं। यह तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता. 4 मृतक गिरवर के पुत्र, पुत्री व विधवा पत्नि है। मीणा जाति जो अनुसूचित जनजाति है। पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा की उपधारा 2 के तहत मीणा जाति यानि अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(1) निम्न प्रकार है। " उपधारा (1)में अन्तर्विष्ट किसी बातके होते हुए भी इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के हो, लागू ना होगी। जब तक कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे"। इस प्रकार उक्त धारा ये जाहिर करती है कि उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयों नन्दा बनाम बिरधी आरआरडी 1988 पेज 61 व श्रीवाई बनाम श्रीमती पानवाई व अन्य आरआरडी 2002 पेज 31 व श्रीमति केशन्ति बनाम रामदास आरबीजे (14)2007 पेज 114 में यह निर्धारित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय 1956 मीणा जाति पर लागू नहीं होता है। एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय श्री हंसा बनाम रतनलाल आरआरसी 2002 पेज 626 के अनुसार पुराने शास्त्रिक हिन्दू लॉ में जो कि इस मामले में लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल का निर्णय दिनांक 21.06.2012 यथावत जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर